



## प्रवासियों के बुनियादी मानव अधिकार

1. प्रत्येक व्यक्ति को स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या हिरासत में नहीं रखा जाएगा। (ICCPR - आइ.सी.सी.पी.आर 9.1, UDHR - यू.डी.एच.आर. 3 और 9, CAT - सी.ए.टी. 9, ECHR - ई.एच.सी.आर. 5.1, EU Charter - ई.यू. चार्टर 6)
2. प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और सुख से रहने का अधिकार है। (UDHR - यू.डी.एच.आर. 14, EU Charter - ई.यू. चार्टर 18)
3. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी नागरिकता का अधिकार है। (UDHR - यू.डी.एच.आर. 15.1, ICCPR - आइ.सी.सी.पी.आर. 24.3)
4. प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी रूप से किसी देश के क्षेत्र के भीतर, उस क्षेत्र के भीतर, स्वतंत्रतापूर्वक आने, जाने और बसने का अधिकार है। (ICCPR - आइ.सी.सी.पी.आर. 12.1, UDHR - यू.डी.एच.आर. 13.1, Ref 26, EU Charter- ई.यू. चार्टर 45.1)
5. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश सहित, किसी देश को छोड़ने और अपने देश वापस आने का अधिकार है। (ICCPR - आइ.सी.सी.पी.आर. 12.2, UDHR - यू.डी.एच.आर. 13.2)
6. प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि किसी ऐसे राज्य में निष्कासन, वापसी ('refoulement') या प्रत्यर्पण से जहां उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रियता, किसी विशेष सामाजिक समूह या राजनीतिक विचारधारा की सदस्यता के कारण उसके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो। (UDHR - यू.डी.एच.आर. 14, Ref 33.1, CAT - सी.ए.टी. 3, EU Charter - ई.यू. चार्टर 19.2)

### संयुक्त राष्ट्र

- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR - यू.डी.एच.आर.)
- शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित संधिपत्र और प्रोटोकॉल। (Ref)
- सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR - आइ.सी.सी.पी.आर.)
- यातना के विरुद्ध संधिपत्र (सी.ए.टी.)

### यूरोप परिषद

- मानव अधिकार संबंधी यूरोपीय संधिपत्र (ECHR - ई.एच.सी.आर.)

### यूरोपीय संघ

- यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों का चार्टर (EU Charter - ई.यू. चार्टर)
- शरण क्रियाविधियों संबंधी निदेश (2013/32/EU - ई.यू.)
- स्वीकार करने की शर्तों संबंधी निदेश (2013/33/EU - ई.यू.)
- योग्यता संबंधी निदेश (2011/95/EU- ई.यू.)

- डबलिन विनियम